न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/12/2019

अपीलार्थीः–
श्री दीपेन्द्र आर्य, ग्राम पो0 भुनगडा अहीर वाया–करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः–02.04.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 15.01.2019 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो **दिनांक 26.03.19** को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 483 दिनांक 22.03.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 15.01.2019 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को यू.ओ. नोट संख्या 11 दिनांक 17.01.19 के माध्यम सें संबंधी आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी–प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक 285 दिनांक 12.02.19 व 293 दिनांक 15.02.19 से प्राप्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15.01.19 के परिप्रेक्ष्य में बिंदु संख्या 8 के अनुक्रम में वाछित सूचना राशि राजकोष में कराकर प्राप्त की जा चूँकि है–बाकि सूचना अभी तक उपलब्ध नही कराई गई है–जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। उक्त आलोक में अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथापि लोकहित में लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 02.04.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर